

## :-निविदा सूचना :-

निर्माणशाला के जीप परिवहन सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु वाहन की प्रतिदिन की दर से किराये, के आधार पर टैक्सी परिमिट बुलेटों, महिन्दा मैक्स/समकक्ष वाहन मॉडल 2014 (08 +01 सीटर) की निविदाये, इस संस्था के पते पर आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त कार्यों हेतु इच्छुक परिवहनकर्ता दिनांक 11.05.2018 से 25.05.2018 तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र (शर्तों सहित) ₹1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी) रुपये, जी0एस0टी0 सहित नकद भुगतान कर, "ऑंचल" पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) अथवा यू0सी0डी0 एफ0लि0, मंगलपडाव हल्द्वानी (नैनीताल) के कार्यालय से क्रय/प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त कार्यों के निविदा प्रपत्र यू0सी0डी0एफ0 की बैबसाइट [www.ucdfaanchal.org](http://www.ucdfaanchal.org). से सीधे डाउन लोड भी किये जा सकते हैं। बैबसाइट से डाउन लोड प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ अलग-अलग ₹1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी) रुपये, का बैंक ड्राफ्ट, जो कैटिल फीड फैक्ट्री रूद्रपुर के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त निविदायें केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से, दिनांक 26.05.2018 को अपरान्ह 12.00 बजे तक "ऑंचल" पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 12.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के बन्द लिफाफे के ऊपर "ऑंचल" निर्माणशाला के जीप परिवहन सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु वाहन, निविदा लिखा होना आवश्कीय है। बिलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा/निविदाओं को बिना कारण, बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित रहेगा।

(डा0एच0एस0कुटौला)

सामान्य प्रबन्धक

कार्यालय-पशु आहार निर्माणशाला किच्छा बाई पास रोड  
रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)

दूरभाष संख्या 05944- 242552

फैक्स संख्या 05944-244510

निर्माणशाला के जीप परिवहन सम्बन्धी कार्यों  
के सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र क्रमांक.....  
निविदा प्रपत्र मूल्य:-1180.00 रुपये (जी०एस०टी० सहित)  
निविदा सूचना संख्या 01 / सी०एफ०पी० / 2018-2019  
दिनांक 26.05.2018

सामान्य प्रबन्धक  
पशु आहार निर्माणशाला  
रुद्रपुर उधमसिंह नगर

**कार्यालय-पशु आहार निर्माणशाला रूद्रपुर,(उधमसिंहनगर)**  
**निर्माणशाला के जीप परिवहन सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु निविदाओ का आमंत्रण प्रपत्र**

01.	निविदा शुल्क	(i) धनराशि ₹1180.00 रूपये जी0एस0टी0 सहित
		(ii) धनराशि ₹1180.00 रूपये जी0एस0टी0 सहित, बैवसाइट से सीधे डाउन लोड करने पर।
02.	निविदा विक्रय तिथि	दिनांक 11.05.2018 से 25.05.2018 तक
03.	निविदा प्राप्ति तिथि	दिनांक 26.05.2018 को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक
04.	निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान	“ऑचल” पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड, बी0एच0ई0एल0, के सामने, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर)
05.	निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 26.05.2018 को अपरान्ह 12.30 बजे
06.	अर्नेस्ट मनी	धनराशि ₹20,000.00 (बीस हजार) रूपये, संस्था के कोषागार में नकद जमा किये जा सकते है अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि कैटिलफीड फ़ैक्ट्री, रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के नाम देय हो।

**“ऑचल” पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)**  
**निर्माणशाला के जीप परिवहन सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र**

01. निविदादाता/फर्म का नाम.....
02. पिता/पति का नाम.....
03. निविदादाता का पूरा स्थायी पता.....  
.....
04. पत्र व्यवहार का पता.....  
.....
05. पैन नम्बर .....(स्वं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।
06. निविदादाता का आधार कार्ड,/पहचान पत्र नम्बर.....(स्वं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
- (07) जमा अर्नेस्टमनी का विवरण :-
- (01) बैंक का नाम.....ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....धनराशि ₹20,000.00
- (02) नकद रसीद संख्या.....दिनांक.....धनराशि ₹20,000.00
- (08) वाहन का विवरण :-
- (अ) वाहन का प्रकार :- महेन्द्र मैक्स/बुलेरो/समकक्ष (08+01 सीटर)
- (ब) वाहन का माडल बर्ष :-
- (स) वाहन की पंजीयन संख्या:- .....
- (द) वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस,, बीमा (स्वं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।
- (09) वाहन जीप की प्रतिदिन किराया दरें :-

क्र०स०	विवरण	₹(अंकों में)	(शब्दों में)
01	वाहन जीप की प्रतिदिन किराया दरें		
02	वाहन का औसत (डीजल).....		कि०मी०/प्रति लीटर
03	वाहन का औसत (पेट्रोल).....		कि०मी०/प्रति लीटर
04	मोबिल ऑयल औसत.....		कि०मी०/प्रति लीटर

हस्ताक्षर (निविदादाता) .....

नाम.....

पता.....

मोबाईल नम्बर.....

## नियम व निविदा शर्तें

(02)

01. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में जीप वाहन हेतु निविदा, एवं निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
02. वाहन का प्रतिदिन व्यय किराया व ईंधन (डीजल) खपत (100 कि०मी०) के आधार पर किया जायेगा। वाहन का प्रत्येक माह न्यूनतम 20 दिन चलाया जायेगा। 20 से अधिक वाहन चलाने पर स्वीकृत दरों पर किराया व ईंधन (डीजल, मोबिल ऑयल) व्यय दिया जायेगा।
03. जीप वाहन का माडल बर्ष 2014 से कम का नहीं होना चाहिए।
04. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ठेकेदार/परिवहनकर्ता को संस्था के साथ मु० 100.00 (एक सौ) रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
05. इच्छुक निविदादाताओं के द्वारा निविदा प्रपत्र कय " ऑचल" पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर (उधमसिंहनगर) एवं उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि०, मगलपडाव हल्द्वानी (नैनीताल) के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 11.05.2018 से 25.05.2018 तक प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
06. निविदा प्रपत्र के सभी पन्नों को हस्ताक्षर कर, एक लिफाफे में सील कर, रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के माध्यम से दिनांक 26.05.2018 को अपरान्ह 12.00 तक "ऑचल" पशु आहार निर्माणशाला, किच्छा बाईपास रोड, बी०एच०ई०एल० के सामने, रुद्रपुर (नैनीताल) के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। शीलबन्द लिफाफे के ऊपर " जीप परिवहन के कार्यों हेतु निविदा लिखा होना चाहिए। निविदायें, दिनांक 26.05.2018 को अपरान्ह 12.30 बजे तक उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी।
07. निविदादाता को भुगतान हेतु पैन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
08. जीप वाहन को निर्माणशाला की आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड एवं अन्य प्रदेश के दूरगामी स्थानों तक संस्था कार्यों से चलायी जायेगी। जीप वाहन के परिचालन के सम्बन्ध में पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
09. जीप वाहन महेन्द्रा मैक्स/बुलेटों/समकक्ष (08+01 सीटर) परिवहन विभाग(आर०टी०ओ०) कार्यालय से पास होनी चाहिए।
10. जीप वाहन निविदादाता के नाम पंजीकृत होनी चाहिए। निविदादाता को वाहन के समस्त प्रपत्र (आर०सी०, बीमा फिटनेस) की छाया प्रति स्वं प्रमाणित कर, अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। जीप वाहन की दरें न्यूनतम प्राप्त होने पर सम्बन्धित निविदादाता/परिवहनकर्ता को 15 दिवस के अन्दर जीप वाहन को टैक्सी परमिट कराते हुये, टैक्सी परमिट की स्वं प्रमाणित छाया प्रति संस्था के कार्यालय में जमा करानी होगी। अन्तिम कार्य आदेश देने से पूर्व वाहन एवं उनके कागजातों (रजिस्ट्रेशन, बीमा फिटनेस, टैक्सी परमिट आदि) का निरीक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। वाहन की स्थिति खराब होने अथवा प्रपत्र अपूर्ण होने पर वाहन को कार्य में नहीं लिया जायेगा। तदोपरान्त कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

(03)

11. संस्था को आवश्यकता पडने पर अनुबन्ध की शर्तों एवं दरों पर इस कार्य अवधि को तीन-तीन माह हेतु दो बार बढ़ाया जा सकता है, जो द्वितीय पक्ष को स्वीकार्य होगा।
12. निविदा प्रपत्र के साथ वाहन परिवहन हेतु मु0 20,000.00 (बीस हजार) रुपये की धनराशि अर्नेस्टमनी के रूप में संस्था के कोषागार में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम, जो **कैटिल फीड फैंक्ट्री**, के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट या नकद जमा रसीद को मूलरूप से संलग्न करना होगी। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. परिवहनकर्ता द्वारा जीप वाहन की कार्य अवधि के बीच में वाहन उपलब्ध न कराने एवं बीच में कार्य छोड़ने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा जमा की गयी जमानत राशि को पूर्ण रूप से निर्माणशाला द्वारा जब्त कर लिया जायेगा एवं अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
14. चालक का प्रबन्ध परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं करना होगा। वाहन के समस्त रख-रखाब की जिम्मेदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था भी परिवहनकर्ता को करनी होगी, यदि उनके द्वारा वाहन की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो संस्था द्वारा बाजार दर पर वाहन की व्यवस्था कर ली जायेगी, जिसका भुगतान संस्था द्वारा करते हुये, इसकी वसूली परिवहनकर्ता के लम्बित बिलों अथवा जमानत धनराशि से कर ली जायेगी।
15. जीप वाहन के समस्त कर, /जी0एस0टी0 बीमा, टोल टैक्स आदि एवं चालक के वेतन एवं अन्य देयकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं परिवहनकर्ता की होगी।
16. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ठेकेदार/परिवहनकर्ता को जमानत धनराशि के रूप में, ₹ 20,000.00 (बीस हजार रुपये) धनराशि जमा करनी होगी, जो नकद/एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में जमा हो सकती है। यदि परिवहनकर्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर जमानत धनराशि जमा नहीं करायी जाती है, तो परिवहनकर्ता की जमा अर्नेस्ट मनी धनराशि को जब्त करने का अधिकार, पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर के पास सुरक्षित होगा तथा निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
17. जीप वाहन के अप्लाइड फोर का टैण्डर मान्य नहीं होगा।
18. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
19. एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सामान्य प्रबन्धक, पशु आहार निर्माणशाला रुद्रपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
20. निविदा प्रक्रिया का सम्पादन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार किया जायेगा।
21. निर्माणशाला एवं सम्बन्धित परिवहनकर्ता के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में इसकी अपील एवं अन्तिम निर्णय का अधिकार, निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा।

**घोषणा :-**मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़ने के उपरान्त सहमत होने पर निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम .....